PAPER-II

B.A. I(H) → [redacted] Page-1

2nd PAPER

[THE SWISS FEDERAL COUNCIL]

DESCIBE THE SWISS ORGANIZATION, POWERS AND FEDCTIONS OF THE SWISS FEDERAL COUNCIL.

Ques:-5) स्विस संघीय परिषद् के संगठन, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें।

Ans:- स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद् विश्व में एक अनोखी कार्यपालिका है। इसे स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद् भी कहा जाता है। यह बहुल्य कार्यपालिका है, फिर भी इसमें अध्यक्षात्मक और मंत्रीमण्डलात्मक व्यवस्था के गुण पाए जाते हैं।

Federal Council of organization

संघीय परिषद् का संगठन:— विश्व में समस्त देशों की कार्यपालिका सम्राट अथवा राष्ट्रपति में निहित होती है परन्तु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों वाली परिषद् में निहित है। इसका चुनाव संघीय सभा के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। सदस्य चुन लिए जाने के बाद संघीय सभा की सदस्यता त्याग देनी पड़ती है।

चुनाव के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रतिबंध तथा अभिसमय कुछ इस प्रकार हैं:—

[A]. परिषद् में एक कैन्टन से केवल एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया जा सकता है।

[B]. ऐसे कोई भी लोग जो रक्त अथवा वैवाहिक संबंध से प्रत्यक्ष वंश परम्परा में कहीं तक भी तथा अप्रत्यक्ष परम्परा में चौथी पीढ़ी तक परस्पर संबंधित हों जिन्होंने बहनों से विवाह

P.T.O

कर लिया है तथा जो गोद रखे जाने के कारण। परस्पर संबंधित हों, एक समय पर परिषद के सदस्य नहीं हो सकते।

[C]. एक अभिसमय के अनुसार दो सबसे बड़े और प्रमुख कैन्टन बैरन तथा ज्यूरिख का हमेशा ही परिषद में प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेष अधिकार सबसे बड़े फ्रेंच भाषा-भाषी कैन्टन, वाड को प्राप्त है।

[D]. एक अन्य अभिसमय के द्वारा परिषद के संगठन को व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। इस अभिसमय के अनुसार प्रमुख धर्मावलंबियों भाषा-भाषियों तथा राजनीतिक दलों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

कार्यकाल :— Tenure.

संघीय परिषद का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। इस समय के पहले इसे हटाया नहीं जा सकता। यदि तीन वर्ष से पहले कोई स्थान खाली हो जाए तब उसे संघीय सभा अपने अगले अधिवेशन में शेष समय के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव कर उस स्थान को भर देती है।

योग्यताएँ :— qualifications.

संविधान की धारा 96 के अनुसार संघीय परिषद के सदस्य उन सभी स्वीस नागरिकों में से चुने जाते हैं जो राष्ट्रीय सभा के सदस्यता की योग्यता रखते हैं। परिषद के सदस्य के बार-बार चुने जाने पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध

नहीं है। इसी कारण कुछ सदस्य तो 25 से 30 वर्ष तक लगातार आते रहे हैं।

बैठक :-

साधारण परिषद की बैठकें सप्ताह में 2 बार होती है, इसकी कार्यवाही गुप्त रहती है। 5 सदस्यों की उपस्थिति इसकी बैठक के लिए आवश्यक है, इसके अध्यक्ष को किसी विषय पर निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है।

Powers And Fenctions.

संघीय परिषद के कार्य और अधिकार :-

स्विट्जरलैण्ड के संविधान की धारा 20 में संघीय परिषद के अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं।

1.) कार्यपालिका संबंधित कार्य
2) विधि निर्माण संबंधि कार्य
3) वित्तीय कार्य
4) न्यायिक कार्य
5) संकट कालिन कार्य

Executive Powers.

1). **कार्यपालिका संबंधित कार्य :-**

संविधान की धारा 95 के अनुसार संघीय परिषद संघ की वह संस्था है जिसके पास निर्देशन और कार्यपालन संबंधि सर्वोच्च शक्तियाँ हैं। संघीय परिषद द्वारा यह निरक्षण किया जाता है कि संघीय संविधान तथा संघीय कानूनों का पालन किया जा रहा है, अथवा नहीं। वह संघ में शाँति एवं व्यवस्था

का उचित प्रबंध करने तथा देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए उत्तरदायि है। संघीय परिषद् संघीय संसद के कानूनों तथा अधिनियमों तथा संघीय न्यायालय के निर्णयों तथा विभिन्न कैन्टनों के पारस्परिक विवादों के समाधान के लिए किए गए समझौतों तथा मध्यस्थों को क्रियान्वित करने के प्रबंध के लिए भी उत्तरदायि है। संघीय प्रशासन के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के व्यवहार, कार्य एवं चरित्र का निर्माण संघीय परिषद् द्वारा ही किया जाता है। संघीय परिषद् उन सभी पदों पर नियुक्तियाँ करती है, जिन पर संघीय सभा, क्षेत्रीय न्यायालय अथवा अन्य किसी संघीय पदाधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संघीय परिषद् अपने समस्त क्रियाकलापों की रिपोर्ट संघीय सभा के सामने प्रत्येक साधारण बैठक में प्रस्तुत करती है, वह कैन्टनों द्वारा पारित सभी कानूनों तथा उनके सभी अध्यादेशों का भी परीक्षण करती है। यदि किसी कैन्टन में उपद्रव अथवा अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संघीय परिषद् ही संघीय हस्तक्षेप के संबंध में निश्चय करती है।

2) विधि निर्माण संबंधी कार्य :— Legislative Powers.

संविधान की धारा 102 के अनुसार संघीय परिषद् को कानूनों के (विधेयक) संसद में प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रायः 95% विधेयक संघीय संसद द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं।

Scanned with CamScanner

सदस्यों के निजि विधेयक भी आवश्यक सुधार तथा सुझाव हेतु परिषद् के पास भेजे जाते हैं, उसके बाद उनपर संसद द्वारा विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघीय परिषद् को अध्यादेशों को जारी करने तथा हस्तांतरित अधिकार की प्रणाली के अंतर्गत नियम निर्माण का भी अधिकार है। इस प्रकार निर्मित नियमों का प्रभाव कानूनों के समान ही होता है, न्यायालयों द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है, इसलिए यह उल्लेखनीय है कि अध्यादेशों के संबंध में किसी प्रकार की जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है, जबकि कानूनों के संबंध में जनमत संग्रह की व्यवस्था है। संघीय परिषद् के (विरुद्ध अपील संघीय न्यायालय तथा संसद को दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त संघीय परिषद् को क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त नहीं है, जबकि अन्य देशों में यह अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त होता है।

3) न्यायिक कार्य:- Judicial Function

यदि केन्टनों में धार्मिक आधार पर कोई भेद-भाव हो तो यह उनमें केन्टनों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकती है। यदि केन्टनों की व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर उत्पन्न होने वाले विवादों व्यवसाय तथा निवास संबंधी प्रश्नों की अपील सुन सकती है।)

Start:- संघीय परिषद् को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। 1914 ई० तक संघीय परिषद् को कई महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें अब कमी आ गई है, फिर भी

P.T.O

कुछ अभी भी संघीय परिषद को न्यायिक अधिकार मिले हुए है। कुछ विशेष प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा संविधान की कुछ धाराओं के अंतर्गत उत्पन्न विवादों के संबंध की गई अपीलों पर निर्णय देती है। संघीय रेलवे प्रशासन तथा विभिन्न प्रशासकीय विभागों के विरुद्ध की गई है।

(3) वित्तीय कार्य : Financial Functions.

वित्तीय क्षेत्र में संघीय परिषद को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। यह संघीय बजट को तैयार करती है। तथा संघीय सभा के सामने प्रस्तुत करती है। संघीय परिषद ही बजट को सभा द्वारा स्वीकृत भी कराती है। यह संघीय आय व्यय की देख-भाल करती है, तथा राजस्व का संग्रह कराती है। वित्तीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व संघीय परिषद पर ही होता है। आय-व्यय का समुचित हिसाब रखने का उत्तरदायित्व भी उसी पर है।

(4) संकट कालीन कार्य : Emergency Functions.

संविधान में संकट कालीन व्यवस्था संबंधी कोई नियम नहीं है पर हमेशा संकट के समय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, आर्थिक मंदी अथवा इसी प्रकार के अन्य संकट के समय संघीय सभा अपने समस्त अधिकार संघीय परिषद को सौंप सकती है कई अवसरों पर ऐसा हो चुका है। उदाहरण के लिए :— 1849, 1853, 1859 और 1873 में देश की तटस्थता के लिए सन्

1914 तथा 1939 में विश्व युद्ध के समय राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तथा 1930 में ही आर्थिक संकट का सामना करने के लिए संघीय परिषद को पूर्णअधिकार सौंपे गए।

निष्कर्ष :— **Conclusion.**

ऊपर दिए गए विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघीय परिषद की शक्तियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में लावेल कहते हैं कि संघीय परिषद को मुख्य शक्ति स्रोत कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय सरकार का संतुलन चक्र है।

The End.

Scanned with CamScanner